30/9/19
9/12/19
28/2/20
22/4/20
15/7/20
29/10/20
28/1/21
04/2/21
(आदेश)

File No.

रामखिलाड़ी बनाम राज० सरकार
धारा 136

#2019/00388

Name :

Address :

Subject :

From : **To**

No. 160

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:05:07 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15/1/20	पीठासीन अधिकारी [illegible] पत्रावली पुनानुसार दिनांक 29/1/2020 को पेश हो रीडर एस०डी०ओ०/एस०डी०एम० बयाना
29/10/2020	प्र०-प्रार्थी उपस्थित। TDR बयाना से रिपोर्ट अप्राप्त। स्मरणपत्र रिपोर्ट TDR बयाना [illegible] पत्रावली दिनांक 28/1/21 को पेश हो।
28/1/21	प्र० प्रार्थी उप०। प्रकरण में प्र० प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के साथ तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट पेश की। [illegible] नियत किया वास्ते आदेश सुनवाई। पत्रावली — वास्ते आदेश दिनांक 5/2/21 को पेश हो।
5/2/21	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 रा०भू०अ० के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं० 640 किता रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम महमदपुर तहसील बयाना स्थित है, जिसमें प्रार्थी के पिता लज्जी पुत्र मन्नी सहखातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। पुराना खसरा [illegible] 640 से नया आरा० खसरा नं० 1171/4431 रकबा [illegible] रकबा 0.10 किता 2 उक्त रकबा [illegible] महमदपुर तह० बयाना बने हैं जिसमें प्रार्थी के पिता लज्जी पुत्र मन्नी सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता लज्जी की मृत्यु हो चुकी है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड नया तैयार करते समय प्रार्थी के पिता का नाम हाल राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:05:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रिकार्ड जमाबन्दी में लज्जी मन्नी सहवन गलती से दर्ज कर दिया है। लज्जी पुत्र मन्नी पुत्र छिप जाने से रह गया है। अन्त में प्रार्थीया प्रार्थी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम लज्जी पुत्र मन्नी दर्ज किए जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र अनुसार तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट चाही गई।

हस्ता० प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट दिनांक 20.10.2015 पेश की। हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी 2069-72, नामा० 1293, किताब सेट्रफल, व तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। नामान्त० सं० 1293 में अनुसार लज्जी पुत्र मन्नी दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2069-72 में प्रार्थी के पिता का नाम लज्जी मन्नी दर्ज अंकित है। इससे स्पष्ट है कि लज्जी मन्नी एक ही व्यक्ति नहीं होकर नामान्त० (1293 अनुसार लज्जी पुत्र मन्नी) अलग-2 व्यक्ति है। अर्थात लज्जी के पिता का नाम मन्नी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश -

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि ग्राम महमदपुरा के वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बर 1171/4431 रकबा 0.11 व 1172 रकबा 0.10 है० में प्रार्थी के पिता लज्जी [illegible] मन्नी [illegible] के कालम [illegible] कर लज्जी पुत्र मन्नी [illegible] अमन बदस्तूर रहेगा। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर [illegible] है। तहसीलदार बयाना को निर्णयानुसार पालना हेतु लिखा जावे। प्रकरण बाद तमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:05:07 IST
Reason: SelfAttested